


28/12/22
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। शाम 4 बजे प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को पुनः तीन बार आवाजें दिलवाई गई परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जा चुका है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र भी स्वतः खारीज हो गया है।

अतः पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नं० से कम हो।


सहायक कलेक्टर
शिवपंज (सिरोही)

